| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी / टी.ए. / 2024/ 9506/ केकड़ी<br>कैलाश बनाम नन्दलाल | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **26-05-2026** | **एकल पीठ**<br>**श्री राजेन्द्र सिंह कविया, सदस्य**<br><br>**उपस्थित :-**<br>श्री शान्तिप्रकाश ओझा, अभिभाषक प्रार्थीगण।<br>श्री सलमान खान, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ।<br><br>**आदेश**<br><br>1- यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 2020/121 में पारित आदेश दिनांक 12-12-2024 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष पेश की गई है।<br><br>2- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश 20-12-2017 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 का प्रार्थना पत्र न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की, जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी सं. 1 ने अपीलीय न्यायालय में एक अपील प्रस्तुत की। बाद विचारण अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 12-12-2024 द्वारा अप्रार्थी सं. 1/ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम 1000/- रुपये कोस्ट पर कन्डोन कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की।<br><br>3- दौराने बहस प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार करने में भूल की है। अपीलीय न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया था तथा उक्त प्रार्थना पत्र में बराबर हिस्सा ले रहा था, जब प्रार्थना पत्र अदम हाजरी में खारिज पर हुआ तो उसे पुनः नम्बर पर लेने की कार्यवाही की किन्तु अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में निर्णय दिनांक 20-12-2017 की जानकारी दिनांक 02-07-2020 को होना बताया, जो मनगढ़त है। प्रार्थी ने अपने धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया था कि उसने झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया था क्योंकि उसके द्वारा निर्णय की प्रमाणित नकल दिनांक 12-06-2020 को ही प्राप्त कर ली थी और प्रार्थना पत्र में प्रतिलिपि प्राप्त दिनांक 03-07-2020 को होना बताया जो उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि वह झूठे कथन अंकित कर शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अपीलीय न्यायालय ने यह माना कि अपीलांट द्वारा जो जानकारी बताई, वह गलत है तथा प्रार्थना पत्र में अंकित कथन संतोष जनक नहीं है किन्तु उसके बावजूद प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम को कण्डोन करने में भारी भूल की है। अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करने व अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-12-2024 अपास्त | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी / टी.ए. / 2024/ 9506/ केकड़ी<br>कैलाश बनाम नन्दलाल | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

किये जाने का निवेदन किया।

4– दौराने बहस अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा उनके अधिवक्ता से दिनांक 02–07–2020 को सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण की कार्यवाही की जानकारी चाही तो अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20–12–2017 को ही निर्णय किया जा चुका है। तत्पश्चात् अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 03–07–2020 को प्रस्तुत करने पर उसी दिन प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवा दी गई किन्तु कोविड कोरोना महामारी बीमारी के कारण न्यायालय का कार्य स्थगित किया गया एवं पक्षकारान तथा अधिवक्तागण की उपस्थिति पर भी पाबंदी लगाई गई, अतः अप्रार्थीगण द्वारा कारित विलंब न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–12–2024 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से पुष्ट किये जाने योग्य है।

5– हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा निगरानी अधीन आदेश का अवलोकन किया। हम विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी के इस तर्क से सहमति रखते हैं कि मामले का निस्तारण देरी जैसे तकनीकी बिन्दु पर न किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा भी अपने निर्णयों में यही इंगित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने देरी को कोस्ट लगाते हुए कन्डोन किया है। आलोच्य आदेश में हम कोई विधि अथवा तथ्य या क्षेत्राधिकार की त्रुटि नहीं पाते हैं जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप वांछनीय हो। अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है।

6– निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे तथा इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कर अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( राजेन्द्र सिंह कविया )**
**सदस्य**